

28.2.12

पत्रावली पेश हुई जायी व नकील जायी उपासित
नही आया जायी व जायी अधिवक्ता की भाषाले
समय तक बार-बार आवाजे लगाई गरी।
फिर भी अनुपस्थित रहे।

अतः पत्रावली अदम हाजरी, अदम पहरवी
अन्तर्गत आदेश 09 नियम 03 के तहत खारिज
की जाती है पत्रावली फलतः शुमार होकर
जम्बर से कम होकर, दाखिल 3 फरर ही
निर्णय लिखा जाकर - खुले-भाषाले
सुनाया गया।

